निर्णय बइजालास प्रकाश चन्द रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 208/प्रार्थना पत्र/2013

तारीख दायरा:-28.01.2013

उनवान

1. चांद खां पुत्र रसूल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोविन्दपुरा हाल निवासी रसूल जी की बगीची टावर के पास हरिशचन्द्र के पीछे झालरापाटन

—प्रार्थी

बनाम

1. सलीम खां पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी 708, चिकित्सालय परिसर के पास, नई रेग, उदपुर, मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी 70, मस्जिद के पास, पूर्व में उदपुरा, मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. हमीद खान पुत्र पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी 70, मस्जिद के पास, पूर्व में उदपुरा, मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. रईस बेगम पत्नि मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी उदपुरा, मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. मुमताज पत्नि कय्यूम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदपुरा , मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. कल्लो पत्नि गफूर खां जाति मुसलमान निवासी उदपुरा, मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
7. नटीबाई पत्नि काशीराम जाति लोधा निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, 1955

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक श्री विजय जैन (प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री प्रवीण वर्मा (अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांकः-28 .02.2018

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खैरासी तहसील झालरापाटन की खाता सं0 नया 50 पुराना 141 खसरा नं0 9 की रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 पेश की है। प्रश्नगत आराजी सम्वत् 2010 से 2013 की खाता सं0 40 में खसरा नं0 2/3 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नं0 7 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा कुल 2 किता की 12 बीघा 7 बिस्वा रसूल खां पुत्र मनसब खां के खाते दर्ज थी। मनसब खां की मृत्यु के बाद रसूल खां उसका एकमात्र जीवित पुत्र होने के नाते प्रश्नगत आराजी दर्ज की गई। उसके बाद जरिये इन्तकाल नं0 6/23 भ्रामक अंकन करते हुये सर्किल झालावाड़ की रिपोर्ट " लडके रसूल व मोहम्मद खां मौजूद है" लिखा गया की श्री नन्द पटेल ने खातेदार मनसब खां के लडके तीन पुत्र रसूल मोहम्मद व मुनीर होना तस्दीक किया इसमें मुनीर खां मर गया बाबू रामगंजमण्डी अपनी मां के पास रहता है। रसूल उपस्थित है अतः रसूल मोहम्मद व बाबू के नामें बाट बराबर दर्ज हो व आराजी उक्तानुसार सम्वत् 2014 से 2017 में रसूल खां, बाबू खां पुत्र मनसब खां साकिन गोविन्दपुरा के खाते दर्ज कर दी गयी। जिसके नये नम्बर 9 व रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा बने। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017, इन्तकाल सं0 6/23 एवं मिलान क्षेत्रफल पेश है। उक्त इन्तकाल खारिज होने योग्य है। रसूल खां की मृत्यु के बाद जरिये इन्तकाल सं0 509 दिनांक 06.11.2007 प्रार्थी का नाम मृतक रसूल खां का एकमात्र पुत्र होने से रसूल खां के 1/2 हिस्से पर दर्ज किया गया। प्रार्थी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जो इन्तकाल नं0 509 दिनांक 06.11.2007 को खुलवाते समय यह तथ्य सामने आया की सम्पूर्ण 8 बीघा 6 बिस्वा आराजी रसूल खां के खाते दर्ज नहीं थी। बल्कि 1/2 हिस्सा दर्ज था। जबकि सम्पूर्ण आराजी को रसूल खां को काश्त करते हुये प्रार्थी अपने बाल्यकाल से ही देख रहा था। वर्तमान में भी खसरा नं0 9 की सम्पूर्ण आराजी रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा को प्रार्थी काश्त करता आ रहा है।-

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राज0)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने बाबू खां के बारे में जानकारी हासिल करने पर कई वर्षो के प्रयासों के बाद जानकारी प्राप्त हुयी की मनसब खां का पुत्र मुनीर खां घीसीबाई के पास झालावाड़ गोद चला गया था। जहां उसके एक पुत्र बाबू खां हुआ जो मोड़क चला गया। वहां पर बाबू खां की लाऔलाद मृत्यु हुई।

तत्कालीन पटवारी ने इन्तकाल सं0 6/23 में यह तथ्य आने के बावजूद ही बाबू खां मृतक मनसब खां के गोद गये पुत्र मुनीर खां का लड़का है। जमाबन्दी सम्वत्2017 में बाबू खां की जगह बाबू खां लिख कर उसे मनसब खां का पुत्र होना लिख दिया चूंकि रसूल खां अपनढ़ थे। उन्हें वास्तविकता की जानकारी तब नहीं हुयी। प्रार्थी ने मोड़क जाकर जानकारी हासिल करने के प्रयास के दौरान अप्रार्थीगण क्रमांक 1 लगायत 6 के मन में बदनियति आयी व उन्होंने प्रार्थी के मुख से सुनी आधी–अधूरी जानकारी के आधार पर ग्राम मोड़क स्टेशन के रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन से बाबू खां पुत्र मनसब खां निवासी मोड़क स्टेशन छापेड़ा बस्ती वार्ड नं0 8 के नाम से दिनांक 22.02.1998 को बाबू खां की मृत्यु होना बतलाकर मृत्यु के 10 वर्ष बाद 08.08.2008 को मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवा लिया फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है। मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं किसी अन्य फर्जी व बनावटी दस्तावेज के आधार पर दिनांक 05.10.2012 को इन्तकाल सं0 50 प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने अपने नाम पर बिना प्रार्थी की जानकारी बिना आधार के अपने नाम पर खुलवा लिया जो नियम विरूद्ध अवैध होने से एवं प्रार्थी को प्राप्त अधिकारों से विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 द्वारा विधि विरूद्ध खुलवाये गये इन्तकाल के आधार पर दिनांक 07.12.2012 को उक्त भाग का अवैध व शून्य बयनामा अप्रार्थीगण सं0 7 के नाम पर पंजीबद्ध करवा दिया गया । इन्तकाल सलीम, रशीद, हमीद पुत्र बाबू खां, रईसा, मुमताज पुत्रियां बाबू खां एवं कल्लो बेवा बाबू खां खोला गया है। जबकि बयनामें के समय अपने पहचान बाबत् जो दस्तावेज पेश किये गये उनमें उक्त सभी के पिता व पति का नाम बाबू खां के स्थान पर गफूर खां है। यह दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र है। कल्लो के अतिरिक्त दस्तावेज में राशन कार्ड की फोटोकॉपी है। जिसमें भी उसके पति का नाम गफूर खां दर्ज है साथ पुत्री के रूप में परवीन का नाम दर्ज है यदि परवीन बाबू खां की पुत्री है तो उसका नाम भी इन्तकाल में होना चाहिए था। उक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि इन्तकाल सं0 50 दिनांक 05.10.2012 बाबू खां के वारिसान का न होने से खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी क्रमांक 7 बयनामा दिनांक 07.12.2012 के आधार पर इन्तकाल अपने नाम खुलवाना चाहती है। जिसका उसे कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थी 7 के हक में इन्तकाल खोला नहीं जावें। बाबू खां प्रार्थी के चाचा मुनीर खां का लड़का था उसे विवादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार हासिल नहीं था और न ही विवादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा रहा क्योंकि मुनीर खां अपने जीवनकाल में ही घीसीबाई के यहां झालावाड़ गोद चला गया था। जिससे उसका मनसब खां की सम्पत्ति पर से हक समाप्त हो गया था। विवादग्रस्त आराजी पर सन् 1955 से ही रसूल खां व रसूल खां की मृत्यु के बाद से प्रार्थी शान्तिपूर्वक सबकी जानकारी में रहते हुये काबिज है एवं विरासत के आधार पर अपने खातें बंधवाने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी को अपने खातें बंधवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की नकलें प्राप्त कर पटवारी हल्का के पास गया तो इन्तकाल सं0 50 दिनांक 05.10.2012 की जानकारी हासिल हुयी फिर इन्तकाल सं0 50 नकलें प्राप्त की तभी जानकारी में आया की उक्त आराजी का बेचान बयनामें के द्वारा दिनांक 07.12.2012 को हो चुका है। तब बयनामें की प्रति लेकर अप्रार्थिया 7 से दिनांक 01.01.2013 को सम्पर्क किया तो अप्रार्थिया को प्रार्थी को धमकी दी व इन्तकाल भी शीघ्र अपने नाम पर खुलवायेगी तथा शीघ्र आराजी पर कब्जा भी करेगी। अगर अप्रार्थिया ने ऐसा किया तो प्रार्थी को अपरिमित हानि में क्षति होगी। प्रकरण प्रथम दृष्टतया व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर प्रकरण अर्जेन्ट नेचर होने के फलस्वरूप वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी जाकर न्यायालय ने दिनांक 28.01.2013 को प्रार्थी के पक्ष एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर पत्रावली जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु दिनांक 06.03.2013 को रखी गई। पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 22.11.2013 को विद्वान अभिभाषक प्रवीण वर्मा ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गयी तथा पत्रावली बहस प्रार्थना–पत्र में रखी गयी। पत्रावली में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली को वास्तें आदेश दिनांक 28.02.2018 नियत की गयी।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में चांद खां को विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर फैसला मूलवाद अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 20.01.2013 का कन्फर्म किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का विरासती इन्तकाल खुला है जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने कोई भूल नहीं की यदि प्रार्थीगण द्वारा जाली दस्तावेज पेश किये गये तो पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। यदि नामान्तरकरण व रजिस्ट्री गलत थी तो सक्षम न्यायालय से निरस्त हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अप्रार्थीगण ने अपनी स्वामित्व की भूमि का ही बेचान किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। इसे खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन–अध्ययन व बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर मनन पश्चात न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है दिनांक 28.01.2013 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/2

(प्रकाशचन्द रेगर)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड (राज०)

Scanned by CamScanner